संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

डी. के. एस. परिसर, रायपुर 492001,
फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स – 2221641, ईमेल – cgayush@gmail.com

क्रमांक/1/स्था./महा./प्रवेश/2022–23/676 रायपुर,दिनांक 9 FEB 2023

बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रमों में सत्र 2022–23 में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु अंतिम काउंसिलिंग सूचना :–

काउंसिलिंग स्थल :– शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)

बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम, सत्र 2022–23 में भारत सरकार, आयुष मंत्रालय/भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/राज्य शासन से प्राप्त मान्यता/अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय (पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर) की सम्बद्धता के आधार पर आयुष महाविद्यालयों के राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित है। प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2022 में सम्मिलित एवं पात्र तथा संचालनालय आयुष द्वारा जारी विज्ञापन/सूचना दिनांक 30.11.2022 के अनुसार पंजीकृत **छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तथा गैर मूल निवासी (अन्य प्रदेश के)** अभ्यर्थियों को श्रेणी/संवर्गवार काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है, ऐसे उम्मीदवार जिनका NEET (UG) 2022 की मेरिट सूची में प्राप्तांक, श्रेणी/संवर्गवार निम्नानुसार है वे इस सूचना के आधार पर काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं :–

समय–सारणी

दिनांक	श्रेणी /संवर्ग		रजिस्ट्रेशन का समय	नीट प्रवेश परीक्षा के कुल प्राप्तांक
छत्तीसगढ़ के मूल निवासी				
15.02.2023 (बुधवार)	अनारक्षित	निल	प्रातः 08:30 से 10:30 तक	**510 से 117 तक**
	अजजा	निल	प्रातः 10:30 से 12:30 तक	**313 से 93 तक**
16.02.2023 (गुरूवार)	अजा	निल	प्रातः 08:30 से 10:30 तक	**402 से 93 तक**
	अपिव	निल	प्रातः 10:30 से 12:30 तक	**510 से 93 तक**
17.02.2023 (शुक्रवार)	छत्तीसगढ़ के गैर मूल निवासी (अन्य प्रदेश के)			
	प्रातः 10:30 से 12:30 तक			**512 से 119 तक**

नोट :– (1) **किसी भी श्रेणी/संवर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने से रिक्त रह गई सीटों को छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019 की कंडिका 4(6) के तहत परिवर्तित कर नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से भरा जावेगा।**

(2) **सभी श्रेणी/संवर्ग में प्रवेश हेतु प्रदेश के अंतिम पात्र अभ्यर्थियों को अवसर देने के पश्चात भी यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है तो उन सीटों पर "छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019" की कंडिका 8(15)(झ) के तहत अन्य प्रदेश के पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जावेगा।**

E:\UG Counselling 2022-23\2nd Adv\1

← **मास्क पहनें, 2-गज की दूरी अपनाएं, साबुन से हाथ धोएं** →

सभी उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें, ऐसा न करने पर वे प्रवेश का अवसर खो देंगे :—

1. नीट (यू.जी.) 2022 परीक्षा का प्रवेश—पत्र।
2. नीट (यू.जी.) 2022 की अंकसूची।
3. ऑनलाइन पंजीयन की प्रति।
4. दसवीं की मूल अंकसूची।
5. बारहवीं की मूल अंकसूची।
6. स्थानीय निवासी प्रमाण—पत्र।
7. स्थायी जाति प्रमाण—पत्र (नियम 4 (2) के अनुसार)।
8. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु स्थायी जाति प्रमाण—पत्र सहित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विगत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष का आय प्रमाण पत्र (जो कि शासकीय/केन्द्र शासन के कार्यालय का फार्म—16 अथवा तहसील कार्यालय से जारी किया गया हो)।
9. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण—पत्र। (नियम 4 (3) के अनुसार)
10. सैनिक संवर्ग हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का प्रमाण पत्र। (नियम 4 (3) के अनुसार)।
11. अभ्यार्थियों को चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी। **इस हेतु उन्हें सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. **दिव्यांगता संवर्ग** में प्रवेश का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मान्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। (नियम 4 (3) के अनुसार)।
13. अध्ययन में यदि व्यवधान हो तो कारण सहित नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (गैप सर्टिफिकेट) अनिवार्य है।
14. उपरोक्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट एवं दो पासपोर्ट साईज **फोटो** भी साथ लावें।
15. **शुल्क :—**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	प्रथम वर्ष का शुल्क
1	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर / बिलासपुर	26,000/— (अनारक्षित/ई.डब्ल्यू.एस./अ.पि.व.) 16,000/— (अ.जा./अ.ज.जा.)
2	राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, चंदखुरी, दुर्ग	1,28,315/—
3	छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, मनकी, राजनांदगांव	1,28,315/—
4	भारती आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल पुलगांव चौक दुर्ग	1,28,315/—
5	रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, रामकुण्ड, रायपुर	66,129/—
6	श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, नगपुरा, दुर्ग	62,629/—

(1) उक्तानुसार प्रथम वर्ष का शुल्क संबंधित महाविद्यालय के काउंटर में तत्काल जमा कर प्रवेश लिया जाना अनिवार्य है।

(2) काउंसिलिंग के समय पाठ्यक्रम/महाविद्यालय का चयन के उपरांत निर्धारित शुल्क तत्काल जमा न करने पर अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा।

(3) **निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जानी है, इस हेतु समय की अल्पता को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेशित महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के सम्पूर्ण शुल्क की राशि तत्काल जमा करना आवश्यक है। अतः निर्धारित शुल्क की व्यवस्था के साथ ही काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होवें।**

नोट :— (1) यदि कोई सेमेस्टर एक वर्ष छः माह का है तो अभ्यर्थी से अनुपातिक एक वर्ष छः माह का शुल्क लिया जावेगा।

(2) अभ्यर्थी विभागीय वेबसाईट से चेक लिस्ट (Check list) डाउनलोड कर, उक्त चेक लिस्ट में सभी बिन्दुओं की जानकारी की पूर्ति कर उपस्थित होवें।

(3) सीटों का विस्तृत विवरण काउंसिलिंग स्थल पर काउंसिलिंग के समय चस्पा किया जावेगा।

(4) **काउंसिलिंग में उन्हीं महाविद्यालयों की सीटों पर आबंटन किया जाएगा, जिन्हें भारत सरकार/राज्य शासन से मान्यता/अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय (पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर) से संबद्धता/निरंतरता प्राप्त हो गयी है।**

(5) आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उच्चतम आयु सीमा का अंतिम निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर यायिका कमांक SLP(C) 14320/2018 मे पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

(6) काउंसिलिंग की कार्यवाही केन्द्र/राज्य शासन द्वारा समय—समय पर कोविड—19 से बचाव के संबंध में जारी दिशा—निर्देशों का कठोरता से पालन करते हुए की जावेगी।

(7) प्रवेश एवं काउंसिलिंग से संबंधित अन्य निर्देश/सूचना जैसे सीटों की अद्यतन जानकारी, इत्यादि हेतु नियमित रूप से निर्धारित वेबसाईट का अवलोकन करते रहे।

(8) सभी शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों के आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों की सभी सीटों का आबंटन संचालनालय आयुष, रायपुर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/एजेंसी के प्रलोभन में न फंसे।

9/2/23

संयुक्त संचालक
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़

← मास्क पहनें, 2-गज की दूरी अपनाएं, साबुन से हाथ धोएं →